वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. द्वारा गरियाबंद जिले के गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत गरियाबंद–छुरा, छुरा–महासमुन्द, छोटेगोबरा–मताल, पीपरछेड़ीखुर्द–मौहाभाठा, छुरा–छ.ग./उड़िसा बॉर्डर, गोबरानवापारा–गरियाबंद, एवं डोमपदर–मानपुर मुख्य मार्गो के समानांतर कुल 176.626 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 0.590 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.411 हे. राजस्व वन भूमि 0.366 हे. एवं नारंगी वन भूमि रकबा 0.554; कुल 2.921 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर के अभिमत से सहमत होते हुए आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 2.921 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 03/05/2023
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

3/5/23

(व्ही श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर
Principal Chief Conservator of Forests
Chhattisgarh

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर–492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–939–A/ 1167 रायपुर, दिनांक 08/05/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
छत्तीसगढ़

विषयः– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Degital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Gariyaband Forest Division under Gariyaband District of Chhattisgarh State, Area 2.921 ha.**

– **पंजीयन कमांक – FP/CG/OFC/155724/2022**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर का पत्र क्रमांक /तक शा./ विविध /4404 दिनांक 19.04.2023

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र– आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. द्वारा गरियाबंद जिले के गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत गरियाबंद–छुरा, छुरा–महासमुन्द, छोटेगोबरा–मताल, पीपरछेड़ीखुर्द–मौहाभाठा, छुरा–छ.ग. /उड़िसा बॉर्डर, गोबरानवापारा–गरियाबंद, एवं डोमपदर–मानपुर मुख्य मार्गो के समानांतर कुल 176.626 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 0.590 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.411 हे. राजस्व वन भूमि 0.366 हे. एवं नारंगी वन भूमि रकबा 0.554; कुल 2.921 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।	1
2.	**रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रतिः**– प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/155724/2022 आबंटित किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क राशि रूपये 6000 एवं प्रोसेसिंग शुल्क राशि रूपये 29,000 कुल रू. 35,000/– जमा कराया गया है।	2–11
3.	**वन क्षेत्र का विवरणः**– आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. द्वारा गरियाबंद जिले के गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत 176.626 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 0.590 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.411 हे. राजस्व वन भूमि 0.366 हे. एवं नारंगी वन भूमि रकबा 0.554 हे.; कुल 2.921 हे. वन भूमि के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।	12–16
4.	**गैर वन क्षेत्र विवरणः**– गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 5.911 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।	17–19
5.	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल परः**– प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	20–21
6.	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैपः**– प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	22–35

7.	**प्रपत्र–4 में प्रस्तावः**– आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. द्वारा गरियाबंद जिले के गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत गरियाबंद–छुरा, छुरा–महासमुन्द, छोटेगोबरा–मताल, पीपरछेड़ीखुर्द–मौहाभाठा, छुरा–छ.ग./उड़िसा बॉर्डर, गोबरानवापारा–गरियाबंद, एवं डोमपदर–मानपुर मुख्य मार्गो के समानांतर कुल 176.626 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 0.590 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.411 हे. राजस्व वन भूमि 0.366 हे. एवं नारंगी वन भूमि रकबा 0.554; कुल 2.921 हे. वन भूमि में किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य है। प्रस्तावित कार्य विद्यमान मार्गो के राईट आफ वे में किया जाना है अतः वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है। परियोजना से गरियाबंद, छुरा एवं मैनपुर तहसील अंतर्गत लगभग 76 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में निवासरत लगभग 75000 लोग लाभान्वित होंगे।	36–44
8.	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीपः**–यूजर एजेंसी द्वारा कथन किया है कि गरियाबंद, छुरा एवं मैनपुर तहसील अंतर्गत लगभग 76 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इंटरनेट के माध्यम से शासकीय एवं गैर शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे 75000 आम व्यक्तियों को प्राप्त होगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वित्तीय लेन–देन में गति आएगी तथा लोंगो का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। इस कार्य को संपादित करने के लिये 475 लाख रू. लागत आयेगी।	45
9.	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्रः**– गरियाबंद जिले के गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत गरियाबंद–छुरा, छुरा–महासमुन्द, छोटेगोबरा–मताल, पीपरछेड़ीखुर्द–मौहाभाठा, छुरा–छ.ग. /उड़िसा बॉर्डर, गोबरानवापारा–गरियाबंद, एवं डोमपदर–मानपुर मुख्य मार्गो के समानांतर कुल 176.626 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 0.590 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.411 हे. राजस्व वन भूमि 0.366 हे. एवं नारंगी वन भूमि रकबा 0.554 हे.; कुल 2.921 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तीत किया जाना है। इस प्रकरण में मांग की गई वन भूमि आवश्यक एवं न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।	46
10.	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाहीः**– इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।	47
11.	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगाः**– भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी, गरियाबंद द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत दिनांक 12.01.2023 से प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, गरियाबंद के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त द्वारा दिनांक 31.01.2023 से वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।	48–60
12.	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्रः**– प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	61
13.	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र**– सम्बंधित ग्राम पंचायतो के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	62–113
14.	**जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. मेंः**– गरियाबंद जिले के गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत कुल वन भूमि रकबा 160678.054 हे. है।	114
15.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. मेंः**– गरियाबंद जिले के गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत 14 स्वीकृत प्रकरणों में 337.456 हे. वनभूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किया गया है।	115–116
16.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. मेंः**– व.स.अ.–1980 तहत गरियाबंद जिले के गरियाबंद वन मंडल	117

	अंतर्गत इसी श्रेणी के 3 स्वीकृत प्रकरण में कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा 22.165 हे. है।	
17.	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010):–** प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण्य या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, गरियाबंद एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	118
18.	**वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक/F.No. 11–9/1998 दिनांक 03/08/2009):–** आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर गरियाबंद से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग आवेदक विभाग द्वारा किया गया है जिसकी पावती अभिस्वीकृति प्रस्ताव के साथ संलग्न है। प्रथम चरण स्वीकृति पश्चात वन अधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में वचन पत्र दिया गया है।	119–126
19.	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र कमांक भू–प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):–** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर गरियाबंद के पत्र क्रमांक / 3869 दिनांक 01.09.2022 एवं पत्र क्रमांक 956 दिनांक 10.03.2023 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है। जो प्रस्ताव में संलग्न है।	127–130
20.	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र कमांक/एफ–7–22/2009/10–2 दिनांक 31/07/2009):–** विवरण चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक–2 अनुसार है।	131–132
21.	**राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:–** प्रस्तावित वन भूमि किसी वन्य प्राणी परियोजना के अंतर्गत नही आ रहा है। अतः इस प्रस्ताव हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अनुशंसा की आवश्यकता नही है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, गरियाबंद का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	133

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.स. द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–939–A / 2202 रायपुर, दिनांक 08/05/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **मुख्य वन संरक्षक**, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, गरियाबंद वन मंडल, गरियाबंद, छत्तीसगढ़।
3. **महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)** ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.) ।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

- 50 -OFC Line Letter 2023.doc